राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

विषय: भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा–सिविल) वर्ष 2022–23 में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर भिजवाने एवं अनियमितताओं के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा–सिविल) वर्ष 2022–23 राजस्थान विधान सभा में दिनांक 19–02–2026 को उपस्थापित किया जा चुका है। उक्त प्रतिवेदन प्रधान महालेखाकार, राजस्थान की वेबसाइट https://cag.gov.in/ag2/rajasthan/en पर उपलब्ध है।

जैसा कि आपको विदित है भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II), राजस्थान से संवीक्षोपरान्त राजस्थान विधान सभा (जनलेखा समिति) को प्रतिवेदन के सदन में उपस्थापित किये जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर आवश्यक रूप से भिजवाये जाने हैं। विभागों द्वारा निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रेषित नहीं करने को जनलेखा समिति द्वारा अत्यधिक गंभीरता से लिया जाता हैं।

अतः अनुरोध है कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (अनुपालन लेखापरीक्षा–सिविल) वर्ष 2022–23 में समाविष्ट आपके अधीनस्थ/नियंत्रणाधीन विभागों से संबंधित समस्त अनुच्छेदों के उत्तर निर्धारित समयावधि 3 माह (दिनांक 18–5–2026 तक) में महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II), राजस्थान से संवीक्षोपरान्त राजस्थान विधान सभा (जनलेखा समिति) को 25 प्रतियों में भिजवाने का कष्ट करावें। राजस्थान विधानसभा को भिजवाये जाने वाले संवीक्षित उत्तर की 04 प्रतियाँ महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II), राजस्थान तथा 02 प्रतियाँ वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी भिजवाये जाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें। यह भी निवेदन है कि उक्त प्रतिवेदन में दर्शाई गई अनियमितताओं को मध्यनजर रखते हुए भविष्य के लिए व्यवस्था सुधार एवं अनियमितताओं की पुनरावृति रोकने की दृष्टि से समुचित शासकीय निर्देश जारी किये जाकर उनकी पालना सुनिश्चित कराने की कार्रवाई भी करावें। प्रतिवेदन में दर्शायी गई अनियमितताओं के लिए उत्तदायित्व निर्धारित किया जाकर वांछित कार्रवाई भी अमल में लायी जानी अपेक्षित है।

(वैभव गालरिया)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

अ.शा. टीप. क्रमांक : प.1(2)वित्त/अंकेक्षण/2026 जयपुर, दिनांक : 09-03-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा (जन लेखा समिति) जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I)/महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II) राजस्थान, जयपुर।
3. संबंधित विभागाध्यक्षों को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित समस्त अनुच्छेदों के उत्तर अविलम्ब अपने प्रशासनिक विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
4. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग एवं समस्त संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त (कम्प्यूटर सैल) को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(भवानी सिंह मीणा)
संयुक्त शासन सचिव